O/o CE (EITC)
Receipt No. 7204
Date 27 FEB 2017
DGM (IT) / SE (O)
EE Web
Section

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्रीमती भारती पेंढारकर, अति0 महाप्रबंधक (मा.सं.), छ0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0, रायपुर
दूरभाष क्रं. –0771–2574040

अपील प्रकरण क्रमांक 01/2017 दिनांक 04.01.2017

श्रीमती अर्चना गुप्ता
फ्लैट नं. 104, ब्लॉक–19,
अशोकारतन, खम्हारडीह
रायपुर, छ.ग.
पिन–492007

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री व्ही.आर.मौर्या
जनसूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0,डंगनिया–रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 14.02.2017 को पारित)

अपीलार्थी श्रीमती अर्चना गुप्ता की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 01/2017 दिनांक 04.01.2017 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) अपीलार्थी श्रीमती अर्चना गुप्ता का पक्ष कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि उनके द्वारा आवेदन दिनांक 02.11.2016 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी से 04 बिन्दुओं में दिनांक 10/2008 से 10/2016 की स्थिति में जानकारी चाही गई है, जो निम्नानुसार है:–

1- THE NAME OF E.E./A.E./J.E. OF CSPDCL, AGAINST WHOM THE ANTI CORRUPTION BUREAU (ACB) CONFIRMED TO THE COMPANY, CASE OF DISPROPORTIOATE ASSETS, WITH THEIR LETTER NO.
2- THE NAME OF E.E./A.E./J.E. OF CSPDCL, AGAINST WHOM THE ACB CONFIRMED TO THE COMPANY, CASE OF DISPROPORTIOATE ASSETS AND COMPANY HOLD THEIR HIGHER PAY SCALE AND PROMOTION ORDERS.
3- THE NAME OF E.E./A.E./J.E. OF CSPDCL, AGAINST WHOM THE ACB REGISTERED CASE OF DISPROPORTIOATE ASSETS BUT MATTER IS SUBJUDICED/UNDER PROCESS, SO NOT CONFIRMED TO THE COMPANY BUT COMPANY HOLD THEIR HIGHER PAY SCALE AND PROMOTION ORDERS.
4- THE COPY OF CIRCULARS/GUIDE LINES ADOPTED BY THE CSPDCL FOR HOLDING HIGHER PAY AND PROMOTION ORDERS IF AN EMPLOYEE AGAINST WHOM ACB CONFIRMED CASE OF DISPROPORTIOATE ASSETS TO THE COMPANY & FOR THOSE WHOM ACB REGISTERED CASE BUT MATTER IS SUBJUDICED/UNDER PROCESS SO NOT CONFIRMED TO THE COMPANY.

किंतु बिंदु क्रमांक 01 से 03 में चाही गई जानकारी अधिनियम की धारा 8(1) का उल्लेख कर मुझे प्रदान नही की गई है, एवं बिंदु क्रमांक 04 की जानकारी जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध न होने पर भी उनके द्वारा संबंधित कार्यालय को अंतरित नही किया गया है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–6 के तहत उपरोक्त बिंदुओं की जानकारी दिलाने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./05–06/दिनांक 10.01.2017 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी को दिनांक **24.01.2017** को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी–11 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्रीमती अर्चना गुप्ता को भी उनके द्वारा दी गई उनके पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। उक्त निर्धारित श्रवण तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतएव प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न नहीं की जा सकी।

उपरोक्त के दृष्टिगत अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत अपीलार्थी को प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क रखने बाबत् न्यायोचित अवसर (अंतिम अवसर) प्रदान करते हुए उक्त अपील प्रकरण की सुनवाई पुनः दिनांक 10.02.2017 को सांय 4:00 बजे निर्धारित की गई। जिसकी सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र.–01/2017/11 दिनांक 02.02.2017 के माध्यम से अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी को दी गई। निर्धारित तिथि दिनांक 10.02.2017 को प्रतिअपीलार्थी श्री व्ही.आर.मौर्या एवं अपीलार्थी के द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री अजय कुमार गुप्ता उपस्थित हुए। तत्पश्चात् अपील प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न हुई।

(4) निर्धारित तिथि 10.02.2017 को प्रतिअपीलार्थी श्री व्ही.आर.मौर्या, जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, छ.रा.वि.हो.कं.मर्या. रायपुर के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदिका श्रीमती अर्चना गुप्ता द्वारा कंडिका क्रमांक 02 में उल्लेखित 04 बिंदुओं में जानकारी चाही गई है।

उपरोक्त वांछित बिन्दुओं की कौन सी बिन्दु की जानकारी/दस्तावेज इस कार्यालय में उपलब्ध है, अथवा नही है यह स्पष्ट नही होने के कारणवश जानकारी/दस्तावेज एकत्रित किये जाने बाबत् प्रबंधक (मा.सं.)–दो/पांच/छः, छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0, रायपुर के अतिरिक्त जनसूचना अधिकारी कार्या0 – कार्यपालक निदेशक (मा.सं.), छ.रा.वि.वि.कं.मर्या, रायपुर को पत्र क्रमांक 10009 दिनांक 08.11.2016 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत् लेख किया गया। उक्ताशय के तारतम्य में कार्यपालक निदेशक (मा.सं.) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या, रायपुर के द्वारा पत्र क्रमांक 2595 दिनांक 18.11.2016 के माध्यम से बिन्दु क्रमांक 01 से बिन्दु क्रमांक 04 तक चाही गई जानकारी में से बिन्दु क्रमांक 01 की जानकारी संबंधित होने के कारण जानकारी/दस्तावेज 02 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गई एवं प्रबंधक (मा.सं.)–दो/पांच/छः के द्वारा उपरोक्त बिंदुओं के जानकारी के संबंध में निम्नानुसार अवगत करायी गई है :–

(अ) – बिंदु क्रमांक (01,02 एवं 03) – अधिनियम की धारा 8 (1) के खण्ड (ञ) के अंतर्गत जानकारी प्रकट किया जाना बाध्यकारी नही है।

(ब) – बिंदु क्रमांक (04) – इस संबंध में अवगत कराया जाता है कि अवधि 10/2008 से 10/2016 के दौरान छ.रा.वि.वि.कं.मर्या., द्वारा संबंधित परिपत्र/दिशा–निर्देश ग्राह्य करने की जानकारी इस कार्यालय के संज्ञान में नही है।

(स) उपरोक्त के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 10189 दिनांक 30.11.2016 के द्वारा आवेदिका को निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करायी गई :–

बिन्दु क्रमांक (01,02,एंव 03)– एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में असमानुपातिक संपत्ति आधिपत्य में रखने संबंधी अपराध पंजीबद्ध है एंव प्रकरण विवेचनाधीन है, तो अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्रकट नही किया जाना है। पुलिस द्वारा अन्वेषण के अधीन मामलों में सूचना का प्रकटन मुक्त किया गया है, और जारी पुलिस अन्वेषण के मामलों में सूचना प्रकट न करना न्यायोचित है (जो अभी पूरा नही किया गया है,) क्योंकि ऐसा प्रकटन अन्वेषण प्रकिया को अवरुद्ध कर सकता है। ऐसी सूचना दिये जाने की आवश्यकता नही है, जो अन्वेषण की प्रकिया, अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन को अवरुद्ध करें। अतएव अधिनियम की धारा 8 (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत उक्त जानकारी प्रकट किया जाना बाध्यकारी नही है।

बिन्दु क्रमांक– (04)– इस संबंध में अवगत कराया गया है कि अवधि 10/2008 से 10/2016 के दौरान छ.रा.वि.वि.कं.मर्या, द्वारा संबंधित परिपत्र/दिशा–निर्देश ग्राह्य करने की जानकारी इस कार्यालय के संज्ञान में नही है।

जहां तक आवेदिका द्वारा बिंदु क्रमांक 04 की जानकारी के संबंध में यह प्रश्न किया गया है कि यदि उक्त जानकारी जनसूचना अधिकारी के पास उपलब्ध नही थी तो उन्होंने प्रकरण को संबंधित कार्यालय/प्रभाग जहां से सूचना संबंधित हो में अंतरित क्यों नही किया। इस संबंध में अवगत हो कि यह तभी संभव हो पाता जब जनसूचना अधिकारी के संज्ञान में यह हो कि उक्त सूचना अथवा सूचना का अंश किस कार्यालय अथवा प्रभाग से संबंधित है।

(5) उपरोक्त सुनवाई तिथि 10.02.2017 को अपीलार्थी के द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री अजय कुमार गुप्ता एवं प्रतिअपीलार्थी सह जनसूचना अधिकारी श्री व्ही.आर.मौर्या उपस्थित हुए। तत्पश्चात् अपील प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

उक्त तिथि को प्रकरण से संबंधित दस्तावेजो/अभिलेखों का अवलोकन कर दोनो पक्षों के तर्क श्रवण किये गये। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक विशिष्ट अधिनियम है, जिसमें प्रथम अपील प्रकरण के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित हैं। उक्त अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट वह कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप ग्राहय हो।

(अ) सुनवाई के दौरान प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री गुप्ता का तर्क कि बिंदु क्रमांक 01,02 व 03 की वांछित जानकारी अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) के तहत् अपीलार्थी को उपलब्ध नही करायी गई है, जबकि एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा असमानुपातिक संपत्ति आधिपत्य में रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही की सूचना, दैनिक समाचार पत्रों में आरोपित अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम सहित प्रकाशित की जाती है, अतः यह ज़ानकारी गोपनीय जानकारी की श्रेणी में नही आती हैं, अतएव अपीलार्थी को उपरोक्त बिंदुओं की जानकारी उपलब्ध करायी जाये। जिसके प्रत्युत्तर में प्रतिअपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि श्री आर.पी.कटारिया द्वारा लेखांकन पुस्तक सूचना का अधिकार विधि, सूचना का अधिकार अधिनियम का अद्यतन, विश्लेषणात्मक एवं बिन्दुवार विवेचन के पृष्ठ क्रमांक 280 की कंडिका 33 के अनुसार **"पुलिस द्वारा अन्वेषण के अधीन मामलों में सूचना का प्रकटन मुक्त किया गया है, और जारी पुलिस अन्वेषण के मामलों में सूचना प्रकट न करना न्यायोचित है (जो अभी पूरा नहीं किया गया है) क्योंकि ऐसा प्रकटन अन्वेषण प्रक्रिया को अवरूद्ध कर सकता है। धारा 8(1)(ज) सूचना को प्रकटन से संरक्षण करने की ईप्सा करती हैं, जिसका प्रकटन अभियोजन की प्रक्रिया**

को अवरूद्ध करेगा। ऐसी सूचना दिये जाने की आवश्यकता नही है, जो अन्वेषण की प्रक्रिया, अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन को अवरूद्ध करे। सूचना, जो अन्वेषण की प्रक्रिया को अवरूद्ध करेगी, धारा 8(1) के खण्ड (ज) के अधीन प्रकटन से मुक्त की जाती है।"

(ब) उक्त पुस्तक की पृष्ठ क्रमांक 290 की कंडिका 56 के अनुसार **"अधिकारियों के, जिनके विरूद्ध भ्रष्टाचार मामला लंबित है, विवरण का प्रकटन– निरीक्षण के लिये पत्रावली को खोलते समय, प्रत्युत्तरदातागण धारा 8(1)(ज) और धारा 10 को ध्यान में रखेगा और अपीलार्थी को केवल उन मामलों में पत्रावली दर्शित करेगा, जहां जांच समाप्त है और पृथक्करणीयता खण्ड को लागू करने के पश्चात् ऐसा करेगा।"**

(स) जहॉ तक अपीलार्थी द्वारा बिंदु क्रमांक 04 के माध्यम से अवधि 10/2008 से 10/2016 के दौरान छ.रा.वि.वि.कं.मर्या, द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति रखने के प्रकरण एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में दर्ज हो उनके उच्च वेतनमान एवं पदोन्नति रोक जाने संबंधी परिपत्र/दिशा–निर्देश जो ग्राह्य किये गये हो, की जानकारी का संबंध है। उक्ताशय के संबंध में लेख है कि यद्यपि अवधि 10/2008 से 10/2016 के दौरान छ.रा.वि.वि.कं.मर्या, द्वारा संबंधित परिपत्र/दिशा–निर्देश ग्राह्य करने की जानकारी इस कार्यालय के संज्ञान में नही है। तथापि तत्कालीन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, जबलपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 01–05/I/160 दिनांक 20.11.1989 जिसमें उक्त जानकारी समाहित है, जो 01 छायापृष्ठ में है, जो अपीलार्थी को उपलब्ध करायी जा सकती है।

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री अजय कुमार गुप्ता द्वारा पैरा क्रमांक 05 की कंडिका (अ)(ब)(स) में निहित दस्तावेजों/परिपत्रों का अवलोकन किया गया एवं संबंधित दस्तावेज/परिपत्रों को उपलब्ध कराये जाने बाबत् निवेदन किया गया। जिसके तारतम्य में प्राधिकृत प्रतिनिधि को यह अवगत कराया गया कि उक्त दस्तावेज अपीलार्थी श्रीमती अर्चना गुप्ता को प्रथम अपील आदेश पारित कर संलग्नित प्रेषित की जावेगी। जिस पर श्री गुप्ता द्वारा संतुष्टी व्यक्त की गई।

इस संपूर्ण प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि **प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा पैरा क्रमांक 04 की कंडिका (अ),(ब),(स) के अतंर्गत निर्धारित समयावधि के भीतर जो कार्यवाही प्रकरण में की गई है, वह विधिसंगत एवं न्यायसंगत है, जो स्वीकार योग्य है।**

जहाँ तक अपील का प्रश्न है, उल्लेखित पैरा 05 की कंडिका (अ) (ब) में निहित तथ्यों के अंतर्गत अपीलार्थी को बिन्दु क्रमांक 01,02,03, की जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। **यद्यपि बिन्दु क्रमांक 04 की जानकारी/दस्तावेज पैरा क्रमांक 05 की कंडिका (स) में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी श्रीमती अर्चना गुप्ता को अपील आदेश के साथ 04 छायापृष्ठों में निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। तद्पश्चात् अपील** प्रकरण क्रमांक 01/2017 दिनांक 04.01.2017 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(श्रीमती भारती पेंढ़ारकर)
अपीलीय अधिकारी
सह अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –01/2017/17 रायपुर, दिनांक 14/02/2017

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो ,छ. रा. वि. हो. कं. मर्या, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबंधक (मा.सं.)–दो/पांच/छः, छ.रा.वि.हो.कं.मर्या., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. SMT. ARCHANA GUPTA, FLAT NO. -104, BLOCK- 19, ASHOKA RATAN, RAIPUR, C.G को **कुल 04 छायापृष्ठों** की जानकारी संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता (EITC) ,छ.रा.वि.वि.कं.मर्या, रायपुर, उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध यदि आप चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
पुराना मंत्रालय (डी.के.एस.भवन)
परिसर स्थित इन्द्रावती खण्ड,
प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर
492001, (छ0ग0)
दूरभाष–0771–4024235,2444151

(श्रीमती भारती पेंढ़ारकर)
अपीलीय अधिकारी
सह अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040